Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, MAY-JUNE, 2019, VOL- 6/51

महिला उत्पीड़न एवं उत्तरदायी सामाजिक कारक (म0 प्र0 के जनपद मुरैना के विशेष संदर्भ में)

भानु गोयल, Ph. D.

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन, गोहद (भिण्ड – म0 प्र0)

Abstract

भारतीय समाज में स्त्रियों के उत्पीड़न की समस्या कोई नई नहीं है। जब से हमें सामाजिक संगठन एवं पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण मिलते हैं तभी से भारतीय समाज में स्त्रियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक संताप, शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार होती आई हैं। वर्तमान सन्दर्भ में इसके स्वरूप व तीव्रता में परिवर्तन ही नहीं आया है बल्कि स्त्रियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अतः भारतीय समाज में स्त्रियों के विरूद्ध अपराध की समस्या का वस्तुपरक अध्ययन एवं विश्लेषण परम्परागत सामाजिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनकी स्थिति के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है किन्तु इस गतिशीलता ने भी स्त्रियों के शोषण एवं उनके प्रति होने वाले अपराधों अवसरों में वृद्धि हुई है। अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत महिलाएँ अपने नियोक्ता, सहगामी या अन्य पुरुष द्वारा यौन शोषण एवं अत्याचार की शिकार है, और इस शोषण में अशिक्षित ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षित महिलाएं भी सम्मिलित हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक लोक–लाज आदि के भय से बहुसंख्यक महिलाएँ इस शोषण का खुलकर विरोध भी नहीं करती हैं। वास्तव में पुरुष वर्ग आज भी महिलाओं पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। इसलिए वह सदियों से उपेक्षित एवं शोषित महिला वर्ग को व्यवहारिक दृष्टि से बराबरी का दर्जा देने हेतु स्वयं को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहा है। परिणामतः अधिकांश भारतीय महिलाएं सामाजिक प्रतिबन्धों में जकड़ी हुई हैं तथा पुरुष वर्ग के अत्याचार की शिकार हो रही हैं।

परिभाषिक शब्दावली: *महिला–उत्पीड़न, शोषण, उत्तरदायी कारक, अपराध, लोक लाज ।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शोध प्ररचना : प्रस्तुत शोध अध्ययन को सम्पादित करने के लिए 100 सूचनादाताओं से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के साथ द्वितीयक तथ्यों के समावेश के आधर पर वर्णनात्मक शोध प्ररचना को चुना गया है, जिसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन पध्दति का प्रयोग किया गया है, ताकि अध्ययन की प्रस्तुति सरल किन्तु तार्किक रूप में की जा सके। अध्ययन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है, इसके मुख्यतः दो कारण है– प्रथम तो साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से महिलाओं की प्रस्थिति का बदलता हुआ स्वरूप के बारे में पारस्परिक विचार विमर्श से वास्तविक गहन सूचनायें प्राप्त हो जाती हैं। द्वितीय यह कि साक्षात्कार अनुसूची ही एक मात्र ऐसी अध्ययन पद्धति है जिसमें कि अवलोकन पद्धति का भी आंशिक लाभ मिल जाता है क्योंकि यदि कोई सूचनादाता तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है तो अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर मौजूद होने के कारण वास्तविक सूचना से अवगत हो जाता है। अध्ययनार्थ 100 महिला सूचनादाताओं का चयन म0 प्र0 के जनपद मुरैना से किया गया है।

विश्लेषण एवं विवेचनाः

'वैदिक काल' के पश्चात् ''सामाजिक विचारधारा और कानून की दृष्टि से समाज में स्त्रियों के लिये पराधीनता सूचक विधि–विधानों की नींव पड़ी।''[1] मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। उन्हें वेद अध्ययन एवं यज्ञ करने से रोक दिया गया। कर्मकाण्ड की जटिलता, पवित्रता की धारणा में वृद्धि तथा आर्यों का अनार्य स्त्रियों के साथ अन्तर्जातीय विवाह के कारण महिलाओं को धार्मिक व सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ''सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति गिर गई।''[2] कन्या

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया तथा उसका समावेश विवाह विधि में ही कर लिया गया–

''वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारों वैदिकः स्मृतः
पतिसेवा गुरों वासों गुहार्थोऽग्नि परिक्रियाः।''

अर्थात् उपनयन संस्कार का हित विवाह विधि द्वारा सिद्ध हो जाता है; 'पति सेवा' गुरु सेवा के समान है और गृहस्थी का कार्य 'यज्ञ' के समान है। अतः स्त्रियों को किसी अन्य धार्मिक कार्य तथा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।[3] आये दिन समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में छपने वाली तथा आस–पास घटित होने वाली महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों की घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती हैं। छः–सात वर्ष की मासूम बालिका के साथ बलात्कार[4], अध्यापक द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार का प्रयास[5], स्वयं माँ–बाप द्वारा पुत्री को अनैतिक कृत्य हेतु विवश करना[6], दहेज के कारण चार बहनों द्वारा फाँसी लगाकर सामूहिक आत्म–हत्या[7], मजबूर एवं बेसहारा महिलाओं की सौदेबाजी[8] चकलाघर चलाने के आरोप में मजिस्ट्रेट गिरफ्तार[9] उच्च शिक्षित एवं प्रतिष्ठित पुरुष द्वारा उच्च ओहदे पर पदस्थ सहभागी महिला के साथ अश्लील छेड़छाड़[10] आदि–आदि महिलाओं के प्रति अपराध की न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो आज प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही हैं तथा न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनका विभिन्न कारणों से खुलासा ही नहीं होता है।

आहूजा के0 पी0 (2007) ने अपराधी नारी/नारी अपराध को नारी के प्रति होने वाले अपराधों तथा हिंसा के निम्न भागोंः आपराधिक हिंसा (Criminal Violence), अपहरण तथा व्यवहरण (Kidnapping & Abduction), पारिवारिक हिंसा (Domestic Violence), दहेज हत्याएं (Dowry Deaths), मारना पीटना (Battering), सामाजिक हिंसा

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(Social Violence), यौन शोषण व उत्पीड़न (Sexual Exploitation & Harassment) में विभक्त किया है।

वर्तमान उपभोक्तावादी तथा बाजारवादी संस्कृति ने नारी स्वतंत्रता तथा महिला उदारता की आड़ में उन्हें अपना शिकार बनाया है। बाजारवाद ने बड़ी चतुराई से औरत के सन्दर्भ को स्वास्थ्य का नाम दे दिया। स्वस्थ बाल व त्वचा की देखभाल के चक्रव्यूह में औरत को ऐसा फांसा कि व्यक्तित्व के दूसरे पहलू दब गये। प्रायः अपने उत्पादों की बिक्री हेतु विज्ञापनों में महिलाओं को अभद्र रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुनों आदि के विज्ञापनों में कैमरे की आँखें उत्पाद से अधिक महिला के शरीर पर केन्द्रित रहती हैं। कोरी व्यावसायिकता के उद्देश्य से विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, दूरदर्शन एवं सिनेमा में अश्लील, नग्न, उत्तेजक व रोमांश के दृश्यों की भरमार होने लगी है। इस प्रकार के दृश्य व्यक्ति की काम वासना को भड़काते हैं जिनकी तृप्ति हेतु व्यक्ति यौन अपराधों की ओर अग्रसर होता है। साथ ही 'स्वाभिमान', 'कैम्पस' आदि जैसे दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले धारावाहिक स्वच्छन्द यौनाचार एवं विवाहेत्तर यौन सम्बन्धों को बढ़ावा देकर किशोरों व युवाओं की मानसिकता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं और यह स्थितियाँ महिलाओं को उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों की दृष्टि से असुरक्षित बनाती हैं।

शोध के परिप्रेक्ष्य में नारियों के उत्पीड़न को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है[1]–

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नारी उत्पीड़न

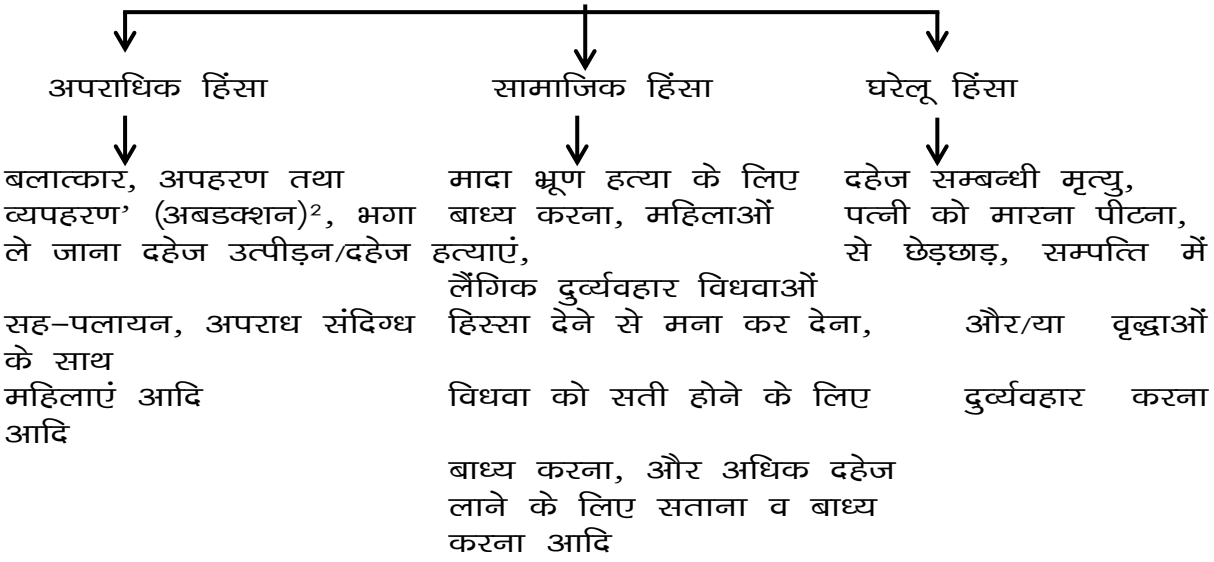

पुलिस के कार्य के दृष्टिकोण से निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है–

(क) **<u>संज्ञेय अपराध</u>** : यथाः हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, अपहरण, व्यपहरण आदि।

(ख) **<u>पारिवारिक अपराध</u>** : यथाः सती होना, बार–बार दहेज की माँगें करना, तलाकशुदा को गुजाराभत्ता न देना, पति द्वारा मारपीट करना, शराबी पति द्वारा दुर्व्यवहार करना, मार डालने के प्रयास, मार देना आदि।

(ग) **<u>अन्य अपराध</u>** : यथाः देह व्यापार, लैंगिक दुर्व्यवहार, पर नारी गमन, छेड़खानी आदि।

प्रस्तुत तालिका सं0 1 में महिला उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी कारकों के प्रति निदर्शितों के अभिमत दिए गये है –

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

तालिका नं. (1):महिला उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी कारक/कारण– सूचनादाताओं की स्वीकारोक्तियाँ

क्रम	कन्या भ्रूण हत्या के लिए पाए गए विभिन्न उत्तरदायी कारक/कारण	उत्तरदायी कारकों के प्रति सूचनादाताओं की स्वीकारोक्तियाँ (संख्या/प्रतिशत)				योग (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1.	जैविक कारक : (आयु, लिंग, शारीरिक दोष)	67 (67.00)	-- (00.00)	20 (20.00)	13 (13.00)	100 (100.00)
2.	मनोवैज्ञानिक कारक : (मानसिक दोष, रोग, हीनभावना, संवेगात्मक अस्थिरता प्रेम, घृणा, उद्वेलिता)	79 (79.00)	-- (00.00)	18 (18.00)	03 (03.00)	100 (100.00)
3.	पारिवारिक : (वैवाहिक स्थिति, विघटित परिवार, पारिवारिक अनुशासन की कमी)	83 (83.00)	05 (05.00)	12 (12.00)	-- (00.00)	100(100.00)
4.	आर्थिक कारक : (आर्थिक दशाएं : उच्च/निम्न, बेरोजगारी, निर्धनता, औद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यवसायिक मनोरंजन)	87 (87.07)	00 (00.00)	10 (11.83)	03 (00.63)	100 (100.00)
5.	सामाजिक कारक : (कुरीतियां, जनसंख्या विस्फोट, गन्दी बस्तियां, सामाजिक विघटन, अशिक्षा, उद्देश्यहीन शिक्षा/नैतिक शिक्षा की कमी)	88 (88.00)	00 (00.00)	12 (12.00)	00 (00.00)	100 (100.00)
6.	पारिस्थितिक कारक/परिस्थितियाँ : (परिवार की परिस्थितियाँ)	77 (77.00)	00 (00.00)	17 (17.00)	06 (06.00)	100 (100.00)

(नोट– कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित आँकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं)

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 79 प्रतिशत सूचनादाताओं ने मानसिक रोग, हीन भवना से ग्रस्तता, संवेगात्मक अस्थिरता, प्रेम, घृणा, उद्वेलिता होना आदि , 87.00 प्रतिशत सूचनादाताओं ने **आर्थिक कारकों** (उच्च व निम्न आर्थिक दशाएं, निर्धनता, बेरोजगारी, औद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यावसायिक मनोरंजन), 88 प्रतिशत सूचनादाताओं ने **सामाजिक कारकों** (सामाजिक कुरीतियाँ, दूरदर्शन, चलचित्र, लैंगिक भेद–भाव, सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, अशिक्षा, उद्देश्यहीन शिक्षा, नैतिक शिक्षा की कमी) तथा 77 प्रतिशत सूचनादाताओं ने विषम परिस्थितियों/ **परिस्थितिक कारकों** को स्वीकार किया है। **सुस्पष्ट है कि महिलाा उत्पीड़न के लिए कोई एक कारक नहीं अपितु विभिन्न कारक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकीय तथा परिस्थितिक कारक उत्तरदायी होते हैं। जिनमें सामाजिक कलंक की भावना महिला उत्पीड़न के लिये गौण कारक पाया गया है।**

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध अध्ययन के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अस्वस्थ पारिवारिक दशायें, पारिवारिक तनाव, महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना, अपराधी के प्रति निष्क्रियता, स्त्रियों की व्यावसायिक गतिशीलता, सहशिक्षा, रहन–सहन व आस–पास का वातावरण, गंदी बस्तियाँ, स्त्री–पुरुष अनुपात में अन्तर, बढ़ती पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के तत्व, जिसमें स्त्री अंग प्रदर्शन, नग्नवाद, स्वतन्त्र व आधुनिक विचारधारा आदि ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महिलाओं के प्रति पुरुषों को प्रभावित तथा प्रेरित करते हैं एवं उनके विरूद्ध अपराध की सम्भावनाओं में वृद्धि करते हैं। साथ ही अनेक बार आकस्मिक

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कारकों के परिणामस्वरूप निर्मित परिस्थतियाँ भी महिलाओं के उत्पीड़न की दृष्टि से उत्तरदायी हैं।

संदर्भः

अल्तेकर, ए.एस. (1956):पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, पृष्ठ 203

पिकहैम एम. (1980): वीमेन इन दि सैक्रेड रिसर्च्स, हार्पर ब्रदर्स, न्यूयार्क, पृष्ठ 87

लूनिया वी.एन. (1955): भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, कमल प्रकाशन, रीवा (म0प्र0), पृष्ठ 67

लूनिया वी.एन. (1955):भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, कमल प्रकाशन, रीवा (म0प्र0), पृष्ठ 178

शर्मा कैलाशनाथ (1952):भारतीय समाज संस्कृति तथा संस्थाएं, मेरठ प्रकाशन, मेरठ, पृष्ठ–213

पटेल तारा (1976): भारतीय समाज व्यवस्था, म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ ऐकादमी, भोपाल (म0प्र0), पृष्ठ 274

देसाई नीरा (1982): भारतीय समाज में नारी, अजन्ता पब्लिशर्स, दिल्ली, पृष्ठ 15

अल्तेकर, ए.एस. (1956):पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसी दास (प्रकाशित), दिल्ली पृ.359–60

Ronald C. Federico ; (1961): Sociology, Rinehart & Winston Press Holt, Kogakusha, p. 149.

.....; घरेलू हिंसा अधिनियम–2005, के प्रति प्रतिक्रिया, प्रकाशित शोध पत्र, राष्ट्रीय शोध पत्रिका 'सामाजिक सहयोग' श्रीकृष्ण शोध संस्थान, उज्जैन (म0प्र0), अंक–34, पृष्ठ 40–41

Copyright © 2019, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies